11/11/2021

2019
00528

पंजकली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्रा.प. सामरी पर आयोजित शिविर में निस्तारण हेतु लगी गई। हमने पंजकली का अवलोकन किया। प्रार्थी ग्राम सिन्दवडी प.ह० सामरी स्थित आराजी संख्या 76 रकबा 0.9600 हे. भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है पंजकली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072-2078 अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 पटटा लीखा किया जाकर ग्राम सिन्दवडी प०ह० सामरी स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 76 रकबा 0.9600 हे. भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। कमिश्नर शुल्क 100200 (अक्षरे एक हजार रुपए प्रार्थी वहन करेगा। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढी कराने के पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करावे। कमिश्नर कैलाश कुमार होकर नक्शा लेवे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.29 18:40:18 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)